रजिस्ट्री सं० डी० (डी०)-72 REGISTERED No. D. (D.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-Section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 116] नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 25, 1980/वैशाख 5, 1902
No. 116] NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 25, 1980/VAISAKHA 5, 1902

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

LIBRARY OF INDIA

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 अप्रैल, 1980

केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

सा.का.नि. 288(अ).—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 12 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 197/62-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 17 नवम्बर, 1962 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना से उपाबद्ध सारणी में, क्रम सं. 8 के सामने, स्तंभ (2) में स्पष्टीकरण में, टिप्पण को टिप्पण 1 के रूप में संख्यांकित किया जाएगा और इस

प्रकार संख्यांकित टिप्पण 1 के पश्चात् निम्नलिखित टिप्पण अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"टिप्पण 2—'पैकेज चाय' पद को परिभाषित करने वाले स्पष्टीकरण में निर्दिष्ट अनुमोदन की अपेक्षा चाय के थैलों की बाबत नहीं की जाएगी [illegible] का थैला' पद से ऐसी थैली या छेददार फिल्टर पेपर या नाइलोन जाल से मोड़कर बनाया गया ऐसा थैला अभिप्रेत है जिसमें सीधे उड़ेलने के लिए उक्त छेददार थैले सहित प्रति थैला चाय के शुद्ध 5 ग्राम से अधिक न हो ।"

[अधिसूचना संख्या 46/80-सी ई फा. सं. 354/18/78-टी. आर. यू.]

डी. मेहता, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th April, 1980

CENTRAL EXCISES

G.S.R. 238(E).—In exercise of the powers conferred by rule 12 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 197/62-Central Excises, dated the 17th November, 1962, namely :—

In the Table annexed to the said notification, against serial No. 8, in the Explanation in column (2), the Note shall be numbered as Note 1 and after Note 1 as so numbered, the following Note shall be inserted, namely :—

"Note 2.—The approval referred to in the Explanation defining the expression 'Package Tea' shall not be required in respect of tea bag and the expression 'tea bag' means a pouch or a folded bag made of porous filter paper or nylon mesh containing not more than 5 grams nett of tea per bag for direct infusion along with the said porous material."

[Notification No. 46/80-CE. F. No. 354/18/78-TRU]

D. MEHTA, Under Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1980.